प्रेषक,

आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पत्रांकःसी0 / 2023-30 / एन0ओ0सी0 / 2018-19 दिनॉक 27/06/2018

विषयः-ऐरिसटॉटल वर्ल्ड स्कूल, एन0एच0-2, मलाजनी, जसवन्तनगर, इटावा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1916 / 15-7-09-01(299) / 2007 दिनॉक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक 27-06-2018 में लिए गये निर्णयानुसार ऐरिसटॉटल वर्ल्ड स्कूल, एन0एच0-2, मलाजनी, जसवन्तनगर, इटावा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उपर्युक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बायलॉज में समाविष्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपा हुआ पाया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

27/06/18

(सुभाष चन्द शर्मा)

आयुक्त

कानपुर मण्डल, कानपुर।

पृ0सं0:सी0/ 2023-30 /2018-19 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित–

1. सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, इटावा।
3. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्धक/सचिव, ऐरिसटॉटल वर्ल्ड स्कूल, एन0एच0–2, मलाजनी, जसवन्तनगर, इटावा।
7. गार्ड फाइल।

27.6.18

(क0क0 गुप्ता)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

कानपुर मण्डल, कानपुर।

भारत सरकार का रूप पत्र

कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःव0स0/मान्यता/ 1227-32 /2018–19 दिनांक 25-5-2019

प्रबन्धक
ऐरिस्टॉटल वर्ल्ड स्कूल
एन0एच0–2,मलाजनी,(जसवन्तनगर),इटावा।

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **06.02.2019** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **ऐरिस्टॉटल वर्ल्ड स्कूल,एन0एच0–2 मलाजनी,(जसवन्तनगर),इटावा** को तारीख **01.04.2019** से तीन बर्ष की अवधि के लिए कक्षा–**प्री0प्रा0** से **08** तक के लिए औपबंधिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवछित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐंसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नही की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच बर्ष की अवद्यि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **8196.00 वर्गमीटर**

- कुल निर्मित क्षेत्रफल– 7360.00 वर्गमीटर,(बहुमंजिल)
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 6335.00 वर्गमीटर
- कक्षाओं की संख्या– प्री0प्रा0 से 08
- प्राध्यापक–सह कार्यालय सह–भंडागार के लिए कक्ष– 01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 06, 06
- पेयजल सुविधा– आर0ओ0,सबमर्सिबल पम्प टंकी सहित।
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– —
- बाधारहित पहुँच– है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित/मान्यता कोड संख्या 1227-32 दि० 25-5-19 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार केलिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:419/79–6–2013–18(20)/91 अनुभाग–6 दिनांक 08.05.2013 के क्रम में आप द्वारा मान्यता हेतु प्रेषित पत्रावली में उपलब्ध पत्राजातों तथा जॉच अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक **16.02.2019 एवं 25.03.2019** के आधार पर मान्यता समिति की बैठक दिनांक **25.03. 2019** में लिये गये निर्णयानुसार उक्त मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में यदि कोई भिन्नता/तथ्यगोपन पाया जाता है तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।

(रामेन्द्र कुमार सिंह)
वरिष्ठ सहायक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
2. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,कानपुर मण्डल,कानपुर।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी **जसवन्तनगर,** इटावा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।